कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल - २, शेरघाटी
पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या ०३/२०१०-११

ग्रामीण कार्य विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित एवं नवीकृत इच्छुक संवेदकों एकल बीड मुहर बन्द लिफाफा में (जो अंततः लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-२ पर अंकित किया जायेगा) निविदा आमंत्रित की जाती है।

१.	विज्ञापन दाता का नाम	:-	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-२, शेरघाटी।
२.	परिमाण विपत्र निर्गत करने की तिथि एवं समय	:-	०३/०८/२०१० को १.०० बजे अपराह्न तक।
३.	निविदा जमा करने की तिथि एवं समय	:-	०४/०८/२०१० को ३:०० बजे अपराह्न तक।
४.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:-	०४/०८/२०१० को ३:०० बजे अपराह्न तक।
५.	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	:-	(१) कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-२ शेरघाटी (२) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-२, गया। (३) मुख्य अभियंता १ का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
६.	निविदा प्राप्त करने का स्थान	:	क्रमांक पाँच में अंकित स्थान

७. कार्य का विवरणी :

क्र० सं०	प्रखंड	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
१	२	३	४	५	६	७
१	डुमरिया	डुमरिया प्र० अन्तर्गत कोलसेता से कपीसा पथ पर भेण्डटेड कॉजवे का निर्माण	24,963	50,000-00	5000-00	३ माह
२	इमामगंज	इमामगंज प्रखण्ड अन्तर्गत लब्जी नदी पर परसिया में भेण्टेड कॉजबे का निर्माण	24,963	50,000-00	5000-00	३ माह

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-२, शेरघाटी

८. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण-विपत्र की भाषा सांकेतिक है, विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस की कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

९. निविदा कागजात में क्रमशः (१) ग्रामीण कार्य विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति (२) अद्यतन लेबर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति (३) वाणिज्यकर /वैट निबंधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति (४) अद्यतन वाणिज्यकर / वैट स्वच्छता प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति (५) अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति (६) पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति। (७) अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्त्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ प्रमाण-पत्र (८) यंत्र-संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण-पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र-संयत्र उपलब्ध कराने का प्रति शपथ-पत्र के साथ ही, व्यवहृत होनेवाले यंत्र - संयंत्रों की व्यवस्था करने संबंधी प्रमाण-पत्र । (९) समरूप कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंकों से कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाण-पत्र (१०) साझेदारी फर्म/कंपनी के मामलें में डीड अथवा आर्टिकल ऑफ एसोसिएसन की अभिप्रमाणित प्रति छायाप्रति (११) विगत पाँच वर्षों

में किसी तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ओभर (१२) निविदाकार के अधीन लंबित कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में) (१३) अग्रधन की राशि जो छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम), किसान विकास पत्र अथवा ३ एवं ५ वर्षीय सावधि जमा पास बुक (जो बिहार राज्य के किसी डाकघर से निर्गत हो) के रूप में मूल यु६ आर६ रसीद के साथ हो तथा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-३ गया के पदनाम से अद्यतन प्रतिज्ञित हो, मूल में समर्पित किया जाएगा।

यदि इनमें कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो निविदा अमान्य कर दिया जाएगा। निविदा में दर अंकित करते समय कार्य की परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक बराबर या कम दर (अंक तथा शब्द दोनो में) अंकित किया जायेगा।

१० मुहरबंद लिफाफा के उपर कार्य का नाम एवं संवेदक का नाम लिखा हो एवं परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक बराबर या कम दर (अंक एवं शब्द में) अंकित किय जाएगा।

११. निविदाकार द्वारा समर्पित किए जानेवाले सभी प्रमाण-पत्र एवं कागजात उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित एवं अभिप्रमाणित होना आवश्यक है अन्यथा जिस कागजात पर उनका हस्ताक्षर नहीं होगा उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी।

१२. उपरोक्त निविदा परिमाण-विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता के पदनाम से ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल-२ शेरघाटी 'के पदनाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शेरघाटी में भुगतेय हो दिया जाना आवश्यक होगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिमाण-विपत्र की बिक्री नहीं की जाएगी।

१३. कार्य को विशिष्टि के अनुरूप करने हेतु सभी मशीनों एवं यंत्र-संयत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण-पत्र निविदादाता द्वारा संलग्न करना होगा। नये व्यवस्था में यह भी प्रबंध किया गया है कि आवश्यक मशीनें एवं यंत्र सयंत्रों, गुण नियत्रंण उपकरनों की व्यवस्था उपलब्ध कराने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्यभार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जायेगा।

१४. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है अतः अनुमोदित परिमाण-विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी।

१५. संवेदक या उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत व्यक्ति को परिमाण विपत्र निर्गत करने हेतु आवेदन के साथ समुचित श्रेणी में निबंधित एवं नवीकृत निबंधन की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करने पर ही परिमाण-विपत्र निर्गत किया जाएगा।

१६. निविदादाताओं को आवंटित कार्य से संबंधित सभी सामग्री के क्रय का प्रमाणक जिसमें विशिष्ट का स्पष्ट वर्णन हो समर्पित करना होगा जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।

१७. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल एवं क्वेरी इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जाम करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

१८. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा। इस मद में किसी भी प्रकार का दावा ब्याज इत्यादि मान्य नहीं होगा।

१६. संवेदक के द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-२ पर किया जाता है तथा पथ निर्माण विभाग के सकल्प संख्या ए०-२१ नियम ८/६२-६११३ (ए) दिनांक १८.११.६२ से एकरारनामा प्रपत्र एफ-२ की कंडिका संख्या-२३ को विलोपित माना जाएगा।

२०. विभाग के सक्षम पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताए निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशो को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

२१. जिस संवेदक के आचरण प्रमाण-पत्र में वैद्य अवधि अंकित है उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जाएगी। जिस संवेदक की वैद्य अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। जिस संवेदक की वैद्य अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता आचरण प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि से छः माह मानी जाएगी।

२२. राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लने के योग्य नहीं होंगे।

२३. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

२४. कार्य के परिमाण-विपत्र में अंकित विभागीय/अनुसूचित दर से १५ प्रतिशत कम दर तक दर अंकित करने की स्थिति में ही निविदा मान्य होगी। संवेदक को अपना दर अंक तथा अक्षर दोनों में अंकित करना अनिवार्य है।

२५. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताए रद्द कर दे जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

२६. अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम) किसान विकास पत्र अथवा सावधि ३ एवं ५ वर्षीय जमा पास-बुक के रूप में हो तथा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य

विभाग कार्य प्रमण्डल – २ शेरघाटी के पदनाम से अद्यतन प्रतिज्ञित हो मूल में समर्पित करना होगा।

३० अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र उस जिले का जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए। जिस जिले का पता निबंधन पत्र में अंकित है अथवा जहाँ व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये गये कार्यों, प्रगतिशील कार्यो एवं कार्य स्थल का पता से संबधित साक्ष्य देना होगा। पार्टनरशीप एवं कम्पनी के मामले में क्रमशः प्राईम पार्टनर एवं प्रबन्ध निदेशक का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

३१. पोस्टमास्टर जनरल, बिहार, पटना के पत्रांक १६६३ दिनांक २६.०७.०७ के आलोक में संवेदक को विधिवत प्रतिज्ञित अग्रधन की राशि के साथ यू० आर० रसीद मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

३२. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के उपरांत साप्ताहिक एवं मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा तथा कार्यादेश निर्गत होने के प्रश्चात अवलिंब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूची पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरेजाने वाले विवरण के संबंध में प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारंभ में पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त अर्थात कार्य की तीनों स्थितियों में संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी /विडियोग्राफी अपनी लागत पर करानी होगी जो फोटोग्राफ /सी६ डी६ की जाँचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु उन्हें अवर प्रमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करेगें।

३३. एकाधिक निविदाकारों से उद्धत दर समान होने पर लाटरी के आधार पर चुने गये एक निविदाकार के साथ ही दर प्रकमण किया जाएगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जाएगा।

३४. निविदाकार पथ निर्माण विभाग के अधीन उपलब्ध हॉट मिक्स प्लान्ट एवं इक्वीपमेन्ट बैंक के विरूद्ध भी निविदा दे सकते हैं। जिसके लिए उन्हें तकनीकी बीड के साथ अपनी समहति एवं इक्वीपमेंट बैंक के प्रबन्धक की सहमति संलग्न करनी होगी।

३५ बीड के मूल्यांकण में उसी यंत्र-संयंत्र के विरूद्ध उसी निविदा को सफल किया जाएगा जो ग्रामीण कार्य विभाग या पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में भौतिक रूप् से सत्यापित होंगे। ऐसी स्थिति नहीं होने पर संयंत्र (गुण नियंत्रण उपस्करों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को सूचना देकर किया जायेगा। सूचना देने के बाद भी जो संवेदक भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि मशीन उनके पास उपलब्ध नहीं है।

३६ जिस निविदा में मूल निर्माण कार्य के साथ-साथ ५ वर्षो के लिए संधारण मद का कार्य भी करने का प्रावधान होगा, ऐसे मामले में जमानत की राशि संतोषजनक कार्य पूरा होने की स्थिति में मूल कार्य की समाप्ति के ५ वर्षो के बाद ही वापस की जाएगी।

३७. कार्य को विशिष्टियों के अनुरूप सम्पन्न करने हेतु सभी आवश्यक यंत्र-संयंत्रों, गुण नियंत्रण, प्रयोगशाला इत्यादि एवं इन्हें स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि (हॉट मिक्स प्लान्ट गुण-नियंत्रण प्रयोगशाला आदि के लिए) के उपलब्धता ससमय सुनिश्चित नही की जाती है और इनके चलते कार्य समय पर पूरा नहीं होता है तो संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।

३८. पार्टनशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर पूर्व में ब्लेक लिस्टेड है तो वह फर्म निविदा का पात्र नहीं होगा। यदि किसी फर्म का कोई पार्टनर रनींग संवदेक है तथा उनका अलग निबंधन है तो उसके नाम से निर्गत किसी भी मशीन का स्वामित्व अनुभव इत्यादि की मान्यता फर्म के लिए नहीं दी जायेगी।

३६. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/किसान विकास पत्र या सावधि जमा पास बुक जो अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से विधिवत् अ़द्यतन प्रतिज्ञित होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म/ कम्पनी के मामले में भी निबंधित नाम का अग्रधन ही मान होगा।

४०. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण-विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-२, शेरघाटी

समाचार पत्र में प्रकाशित :- (दिनांक :- 28-07-2010)

1. **Hindustan, Patna**
2. **Quomi Tanzeem, Patna**
3. **Prabhat Khabar, Patna**